पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1155
दिनांक-12.07.2026

जोन- उत्तरी/ थाना इटौंजा

- ***थाना इटौंजा पुलिस द्वारा गंभीर मारपीट एवं जानलेवा हमले के प्रकरण में वांछित 03 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार।***

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 10/04/2026 को थाना स्थानीय पर वादी मुकदमा श्री महेश प्रसाद पुत्र स्व0 दया प्रसाद निवासी ग्राम व पोस्ट जमखनवां थाना इटौजा जनपद लखनऊ की तहरीरी सूचना बावत विपक्षीगण द्वारा वादी व वादी के भाई लवकुश के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करना, जान से मारने की धमकी व मोबाईल छीन कर तालाब में फेक देने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 52/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/324(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

दौराने विवेचना अभियोग मे साक्ष्य संकलन व चिकित्सीय अभिलेखों के आधार पर **धारा 191(2)/191(3)/118(2)/117(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी** की गयी। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्तों द्वारा की गई मारपीट से पीड़ित को गंभीर चोटें आईं, जिसके परिणामस्वरूप उसकी एक आंख की दृष्टि प्रभावित/समाप्त हो गई।

आज दिनांक 12.07.2026 को थाना इटौंजा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित 03 अभियुक्तगण 1.**मुकेश मिश्रा** पुत्र प्रभाशंकर उर्फ बल्लभ मिश्रा, उम्र करीब 34 वर्ष 2.**अमितेश मिश्रा उर्फ** गोलू मिश्रा पुत्र रजनीश मिश्रा, उम्र करीब 28 वर्ष 3. **अवनीश मिश्रा** उर्फ मोहित मिश्रा पुत्र रजनीश मिश्रा उम्र करीब 36 वर्ष सर्वनिवासीगण ग्राम जमखनवां थाना इटौंजा लखनऊ को ग्राम जमखनवां से गिरफ्तार करते हुये नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा वादी व वादी के भाई लवकुश के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करना, जान से मारने की धमकी व मोबाईल छीन कर तालाब में फेक देना एवं गम्भीर चोट कारित करना जिससे आँख की दृश्यता चली गयी।

03-गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण-

1.**मुकेश मिश्रा** पुत्र प्रभाशंकर उर्फ बल्लभ मिश्रा, निवासी ग्राम जमखनवां थाना इटौंजा लखनऊ उम्र करीब 34 वर्ष
2.**अमितेश मिश्रा उर्फ** गोलू मिश्रा पुत्र रजनीश मिश्रा, निवासी ग्राम जमखनवां थाना इटौंजा लखनऊ उम्र 28 वर्ष
3. **अवनीश मिश्रा** उर्फ मोहित मिश्रा पुत्र रजनीश मिश्रा निवासीगण ग्राम जमखनवां थाना इटौंजा लखनऊ उम्र 36 वर्ष

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु.अ.सं. 52/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/324(2)/191(2)/191(3)/118(2)/117(2) बीएनएस थाना इटौंजा लखनऊ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना इटौंजा-

1. अति0निरी0 श्री विनोद कुमार यादव थाना इटौंजा लखनऊ
2. का0 चिराग त्यागी थाना इटौंजा लखनऊ
3. का0 शोभित चौधरी थाना इटौंजा लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1156
दिनांक-12.07.2026

जोन- उत्तरी/ थाना इटौंजा

GST कर चोरी से सम्बन्धित नामजद / वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

- **गिरोह के सदस्य गरीब/जरूरतमंद लोगों को रूपयों का लालच देकर उनके आधार, पैन, बैंक खाता, मोबाइल नंबर आदि दस्तावेज प्राप्त करते थे।**
- **फर्जी किरायानामा तैयार कर GST फर्म रजिस्ट्रेशन कराया जाता था।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 27.08.2025 को वादी मुकदमा **श्री अभिमन्यु पाठक सहायक आयुक्त राज्य कर खण्ड-16 लखनऊ** के द्वारा जीसटी कर चोरी के संबंध में अल्तमश ट्रेडर्स के फर्म स्वामी जहीर अमहद द्वारा छदम Rent/Lease agreement का उपयोग करते हुये पंजीयन प्राप्त कर अस्तित्वहीन/फर्जी फर्म द्वारा सुनियोजित तरीके से आई०टी०सी० का अनुचित लाभ हेतु बिना अनुमन्य आई०टी०सी० क्लेम व विभिन्न प्रकार से राजस्व क्षति कारित करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 156/2025 धारा 419/420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया।

दौराने विवेचना अभियोग उपरोक्त मे प्रकाश मे आये अभियुक्त बुद्धिप्रकाश पुत्र स्व0 दीपक निवासी कलीमपुर पोस्ट रेवान थाना रेऊसा जनपद सीतापुर को पूर्व मे दिनांक 19.06.26 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया था। अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त जहीर अहमद पुत्र मैकू निवासी बाजारपुरवा लालपुर पोस्ट खानी हुसैनपुर थाना थानगाँव जनपद सीतापुर उम्र करीब 27 वर्ष को थाना इटौंजा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 11.07.2026 को टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा सुनियोजित तरीके से सामूहिक रूप से अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर अल्तमस ट्रेडर्स जो कि वास्तविक रूप से अस्तित्व में ही नहीं थी, के नाम पर जीसटी कर चोरी किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का तरीका / उद्देश्य (Modus Operandi)-

अभियुक्त द्वारा सुनियोजित तरीके से सामूहिक रूप से अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर फर्जी फर्म रजिस्ट्रेशन कराया जाना तथा कम्पनियों के लिए फर्जी INVOICE बनाकर ऑनलाइन ITC जनरेट कर जीएसटी चोरी करना।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-जहीर अहमद पुत्र मैकू निवासी बाजारपुरवा लालपुर पोस्ट खानी हुसैनपुर थाना थानगाँव जनपद सीतापुर उम्र 27 वर्ष

04-पंजीकृत / अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 156/2025 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना इटौंजा लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव थाना इटौंजा लखनऊ
2. उ0नि0 श्री अशोक कुमार तिवारी थाना इटौंजा लखनऊ
3. हे0का0 संतोष तिवारी थाना इटौंजा लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1154
दिनांक-12.07.2026

जोन- उत्तरी/ थाना मड़ियावं

ऑपरेशन CY-VAJRA के तहत साइबर ठगी के अंतरराज्यीय/अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का सफल अनावरण, NCRP/JMIS पोर्टल पर प्राप्त Mule Accounts के सत्यापन के दौरान 09 साइबर ठग गिरफ्तार।

50 एटीएम कार्ड, बैंकिंग दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ₹53,100 नकद बरामद, साइबर ठगी की रकम USDT में परिवर्तित कर विदेशी (चीनी) साइबर अपराधियों तक भेजने का खुलासा।

- **ऑपरेशन CY-VAJRA** के अंतर्गत **NCRP/JMIS** पोर्टल से प्राप्त **Mule Accounts** के सत्यापन के दौरान बड़ी कार्रवाई।
- **संगठित साइबर ठगी नेटवर्क** का सफल अनावरण करते हुए **09 साइबर अपराधी** गिरफ्तार, थाना मड़ियांव पर अभियोग पंजीकृत।
- **50 एटीएम कार्ड, 03 चेकबुक, 02 पासबुक, 03 मोबाइल फोन, 01 टैबलेट, ₹53,100 नकद** एवं साइबर अपराध में प्रयुक्त अन्य डिजिटल साक्ष्य बरामद।
- **भोले-भाले लोगों के नाम पर** बैंक खाते खुलवाकर उन्हें **Mule Account** के रूप में प्रयोग किया जाता था।
- साइबर ठगी की धनराशि को **USDT (क्रिप्टोकरेंसी)** में परिवर्तित कर **विदेशी (चीनी) साइबर अपराधियों** के डिजिटल वॉलेट में भेजने का खुलासा।
- गिरोह के अन्य सदस्यों, डिजिटल वॉलेट, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन, बैंक खातों एवं अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के संबंध में विस्तृत विवेचना जारी।
- गिरोह द्वारा प्रत्येक **ट्रांजैक्शन पर कमीशन** लेकर **अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क को आर्थिक सहायता** पहुंचाई जा रही थी।

कार्यवाही।

श्रीमान **पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्णा** द्वारा संचालित **ऑपरेशन CY-VAJRA** के अंतर्गत साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में **तथा माननीय पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में NCRP/JMIS पोर्टल** पर प्राप्त ***Mule Accounts*** के सत्यापन एवं प्रभावी कार्रवाई हेतु **पुलिस उपायुक्त, उत्तरी** के निर्देशन, **अपर पुलिस उपायुक्त, उत्तरी** के पर्यवेक्षण एवं **सहायक पुलिस आयुक्त, अलीगंज** के नेतृत्व में **सर्विलांस/क्राइम टीम, उत्तरी जोन, साइबर टीम एवं थाना मड़ियांव पुलिस की संयुक्त टीम** द्वारा सुनियोजित अभियान चलाया गया।

तकनीकी विश्लेषण, बैंकिंग डाटा, डिजिटल सर्विलांस एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी में संलिप्त **09 अभियुक्तों** को गिरफ्तार किया गया।

इस संबंध में **थाना मड़ियांव** पर **मु0अ0सं0-0334/2026** धारा **317(2), 318(4), 3(5), 111(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा धारा 66-C सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक **12.07.2026** को क्राइम ब्रांच, डीसीपी उत्तरी की टीम द्वारा **ऑपरेशन CY-VAJRA** के अंतर्गत **JMIS समन्वय पोर्टल** से प्राप्त *Mule Accounts* के सत्यापन एवं साइबर अपराधियों की तलाश के दौरान **केशव नगर मोड़ के पास** एक संदिग्ध व्यक्ति **मो. शाहरूख** को पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना बैंक खाता साइबर ठगी में उपयोग हेतु उपलब्ध कराना स्वीकार किया तथा अन्य साथियों के आईआईएम रोड स्थित होने की जानकारी दी।

उक्त सूचना पर **क्राइम ब्रांच/ साइबर टीम, डीसीपी उत्तरी एवं थाना मड़ियांव पुलिस की संयुक्त टीम** द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए आईआईएम रोड सर्विस लेन से **कुल 09 अभियुक्तों** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से **₹53,100/- नकद, 50 एटीएम/क्रेडिट कार्ड, 02 पासबुक, 03 चेकबुक, 01 टैबलेट, 01 आईपैड, घटना में प्रयुक्त कार संख्या UP32FB8191 एवं मोटरसाइकिल संख्या UP32GA4936** बरामद की गई।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना मड़ियांव पर **मु0अ0सं0 334/2026**, धारा **317(2), 318(4), 3(5), 111(2) बीएनएस एवं 66-सी आईटी एक्ट** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास एवं अन्य साइबर अपराधों में संलिप्तता के संबंध में विस्तृत विवेचना एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

साइबर अपराधियों द्वारा **विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर** उन्हें ***Mule Accounts*** के रूप में उपयोग किया जा रहा था। इन खातों के माध्यम से **साइबर ठगी** से अर्जित धनराशि **को विभिन्न खातों में स्थानांतरित** कर **नकद निकासी** कर ली जाती थी। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पुलिस टीम द्वारा तकनीकी एवं मैनुअल सत्यापन किया गया तथा संदिग्ध खातों एवं उनसे जुड़े व्यक्तियों का विश्लेषण कर गिरोह का सफलतापूर्वक खुलासा किया गया।

पूछताछ एवं तकनीकी साक्ष्यों से ज्ञात हुआ कि **गिरोह के सदस्य भोले-भाले व्यक्तियों को धन का लालच देकर उनके नाम से विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाते थे।** इसके बाद संबंधित व्यक्तियों से **एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक, इंटरनेट बैंकिंग आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर तथा ओटीपी संबंधी जानकारी** प्राप्त कर खातों का पूर्ण नियंत्रण अपने पास रख लेते थे। साइबर ठगों द्वारा इन खातों में साइबर अपराध से प्राप्त धनराशि भेजी जाती थी, जिसे गिरोह के सदस्य एटीएम कार्ड के माध्यम नकद निकासी करते थे।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. **मो0 शाहरूख** पुत्र मो0 कलीम निवासी से0-06 जानकीपुरम थाना जानकीपुरम लखनू उम्र करीब 20 वर्ष (**व्यवसाय**- फर्नीचर बनाने का काम)
2. **महफूज खान** पुत्र मकसूद खान निवासी डीपीएस स्कूल के पीछे सेक्टर 6 जानकीपुरम उम्र करीब 19 वर्ष (**व्यवसाय**- जोमैटो डिलीवरी ब्वाय)
3. **सैय्यद अबदुल्ला** पुत्र सैय्यद फैजल निवासी आलोक दूबे रोड कल्याणपुर नियर भुंईन देवी मंदिर थाना गुडम्बा लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष (**व्यवसाय**- एल.एल.बी. का छात्र)
4. **मो0 बसर** पुत्र सनव्वर निवासी एकता नगर मोहिब्लापुर थाना मडियांव लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष (**व्यवसाय**- ब्लिंकिट में काम)
5. **मो0 रुबान** पुत्र मुकीद हालपता मुत्तकीपुर,आईआईएम रोड़ थाना मडियांव लखनऊ मूलपता ग्राम बडागांव थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी उम्र करीब 21 वर्ष (**व्यवसाय**- पेन्टर)
6. **शाबिर** पुत्र शान मोहम्मद निवासी लालबाग हजरतगंज मूलपता इटहावा थाना केसरगंज जनपद बहराइच उम्र करीब 27 वर्ष (**व्यवसाय**- नीट की तैयारी करता है)
7. **सिकंदर** पुत्र इरफान निवासी लालबाग हजरतगंज मूलपता लोधीपुर , थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 21 वर्ष (**व्यवसाय**- छात्र)
8. **फरहान** पुत्र इरफान निवासी नजरबाग थाना हुसैनगंज मूलपता विर्विनय चौराहा थाना शहर कोतवाली जनपद बलरामपुर उम्र करीब 26 वर्ष (**व्यवसाय**- छात्र)
9. **तुफैल** पुत्र गुलाम शाबिर हालपता नजरबाग थाना हुसैनगंज मूलपता ग्राम ऐमनजेय, जलालनगर थाना कोतवाली सदर जनपद शाहजहाँपुर (**व्यवसाय**- छात्र)

अभियुक्तों का कार्य करने का तरीका (Modus Operandi)

पूछताछ एवं उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों से ज्ञात हुआ कि अभियुक्तों द्वारा विभिन्न जनपदों के भोले-भाले एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को धन का लालच देकर उनके नाम से विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाए जाते थे।

खाते खुलवाने के बाद उनके **एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक, मोबाइल नंबर, इंटरनेट बैंकिंग आईडी, पासवर्ड एवं अन्य बैंकिंग विवरण** अपने कब्जे में लेकर उन खातों को **Mule Account** के रूप में संचालित किया जाता था।

इन बैंक खातों में देशभर में होने वाली साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि जमा कराई जाती थी। इसके पश्चात अभियुक्त विभिन्न एटीएम के माध्यम से नकद निकासी करते थे अथवा धनराशि को आगे ट्रांसफर कराते थे।

USDT के माध्यम से विदेशी साइबर अपराधियों तक धनराशि भेजने का खुलासा

पूछताछ एवं उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों से यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि को **Mule Accounts** के माध्यम से प्राप्त करने के बाद उसे विभिन्न माध्यमों से **क्रिप्टोकरेंसी (USDT)** में परिवर्तित किया जाता था।

इसके उपरांत उक्त **USDT** को **विदेशी (चीनी) साइबर अपराधियों/उनके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित डिजिटल वॉलेट्स** में ट्रांसफर किया जाता था। अभियुक्त इस कार्य के बदले प्रत्येक लेन-देन पर कमीशन प्राप्त करते थे।

गिरोह के सदस्य **Telegram** एवं अन्य डिजिटल माध्यमों से विदेशी साइबर अपराधियों के निरंतर संपर्क में रहते थे तथा बैंक खातों, ट्रांजैक्शन एवं निकासी संबंधी सूचनाएं साझा करते थे।

पूछताछ में सामने आए महत्वपूर्ण तथ्य

- पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे **आजम** एवं **अब्दुल** नामक व्यक्तियों के माध्यम से इस नेटवर्क से जुड़े थे।
- इनके निर्देश पर अलग-अलग जनपदों में बैंक खाते खुलवाए जाते थे तथा संबंधित खाताधारकों से एटीएम कार्ड, चेकबुक एवं अन्य बैंकिंग दस्तावेज प्राप्त कर लिए जाते थे।
- साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि खातों में आने के बाद उसे निकालकर अथवा **USDT** में परिवर्तित कर विदेशी साइबर अपराधियों तक पहुंचाया जाता था।
- पूरे नेटवर्क में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसकी भूमिका के अनुसार कमीशन दिया जाता था।

बरामदगी

संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों के कब्जे से—

- विभिन्न बैंकों के **50 एटीएम/ क्रेडिट कार्ड**
- **03 चेकबुक**
- **02 पासबुक**
- **01 टैबलेट व 01 अदद आईपैड**
- साईबर ठगी से अर्जित **₹53,100/- नकद**
- घटना में प्रयुक्त **कार** संख्या UP32FB8191 तथा **बाइक** संख्या UP32GA4936

अग्रिम विवेचना

गिरफ्तार अभियुक्तों के मोबाइल फोन, टैबलेट, बैंक खातों, डिजिटल वॉलेट, वित्तीय लेन-देन, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन, Telegram चैट एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का फॉरेंसिक परीक्षण कराया जा रहा है।

गिरोह के अन्य सदस्यों, विदेशी साइबर अपराधियों से इनके संबंध, धनराशि के अंतिम लाभार्थियों तथा अंतरराज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के संबंध में विस्तृत जांच जारी है।

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

क्राइम बान्च टीम डीसीपी उत्तरीः--

1. उ0नि दीपक कुमार (स्वाट/सर्विलांस टीम प्रभारी)
2. हे0का0 अवधेश गिरी
3. हे0का0 नदीम
4. हे0का0 संतोष कुमार
5. हे0का0 अमित कुमार गौतम
6. का0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह
7. का0 विशेष दुहूण
8. का0 अमन शुक्ला

साइबर टीम डीसीपी उत्तरीः—

1. उ0नि0 श्री किशोर कुमार
2. हे0कां0 दिव्या दूबे
3. कां0 अभिषेक गौतम

थाना मडियांव पुलिस टीमः—

1. उ0नि0 अखिलेश कुमार
2. उ0नि0 अखिलेश सिंह
3. हे0का0 आकाश सिंह
4. हे0का गौरव सिंह
5. हे0का0सन्दीप कनौजिया

जनसामान्य से अपील

कमिश्नरेट पुलिस, लखनऊ नागरिकों से अपील करती है कि—

- किसी भी व्यक्ति को अपना **बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक, इंटरनेट बैंकिंग आईडी, पासवर्ड अथवा ओटीपी** उपलब्ध न कराएं।
- लालच में आकर अपने बैंक खाते का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति को न करने दें।
- अज्ञात व्यक्तियों के कहने पर क्रिप्टोकरेंसी अथवा संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से बचें।
- किसी भी साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल **1930 हेल्पलाइन** अथवा **राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल** पर शिकायत दर्ज कराएं।
- साइबर सुरक्षा संबंधी सावधानियों का पालन करें एवं किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

- **नोटः- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को पुलिस उपायुक्त उत्तरी द्वारा 10,000/- रूपये के पुरस्कार की घोषणा की गयी।**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1155
दिनांक-12.07.2026

जोन- मध्य/ थाना- मानकनगर

- **थाना मानकनगर पुलिस टीम द्वारा बाइक सवार महिला से झपटमारी कर बैग छीनने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल व 01 अदद मोबाइल फोन बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना मानकनगर पुलिस टीम ने थाना मानकनगर पर पंजीकृत मु0.अ.सं. 34/2026 धारा 304(2)/317(2) BNS से सम्बन्धित बाइक सवार महिला से दो अज्ञात मोटर साइकिल सवार द्वारा झपटमारी कर बैग छीनने वाले अभियुक्त विशाल यादव उर्फ कल्लू पुत्र सतीश यादव पता- 56 न्यू इन्द्रलोक कालोनी केशरी खेड़ा फाटक के पास थाना कृष्णानगर लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष को दिनांक 12.07.2026 को लंगड़ा फाटक से स्लीपर ग्राउण्ड के अन्दर जाने वाली सड़क पर थाना मानकनगर लखनऊ से गिरफ्तार किया।

02-अपराध का उद्देश्यः-

अभियुक्त विशाल यादव उर्फ कल्लू पुत्र सतीश यादव पता- 56 न्यू इन्द्रलोक कालोनी केशरी खेड़ा फाटक के पास थाना कृष्णानगर लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष के द्वारा अपने साथी प्रमोद वर्मा के साथ मिलकर अपनी मोटर साइकिल से दिनांक 03.07.2026 को सुबह करीब 05.00 बजे वादिनी मुकदमा से मोटर साइकिल पर जाते समय उनके कन्धे पर टंगे बैग को अचानक झपटकर अपनी मोटर साइकिल को तेजी के भगाकर ले जाना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. विशाल यादव उर्फ कल्लू पुत्र सतीश यादव पता- 56 न्यू इन्द्रलोक कालोनी केशरी खेड़ा फाटक के पास थाना कृष्णानगर लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष

04- अभियक्त विशाल यादव उर्फ कल्लू का आपराधिक इतिहास।

1- मु0अ0सं0 110/2018 धारा 380,411 भादवि थाना इटौंजा लखनऊ,
2- मु0अ0सं0 091/2018 धारा 392,411 भादवि थाना कृष्णानगर लखनऊ,
3- मु0अ0सं0 251/2018 धारा 323,342,504 भादवि थाना कृष्णानगर लखनऊ

05- बरामदगी-

- घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल नम्बर UP32FT8660
- 01 अदद टचस्क्रीन मोबाइल VIVO कम्पनी
- 440/- रुपये नकद

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ.नि. श्री त्रिभुवन सिंह
2. उ.नि. श्री सत्यम द्विवेदी
3. मुख्य आरक्षी नवीन कुमार
4. आरक्षी चिन्टू कुमार